

प्रतियों के लिए आवेदन

नियम 27: रूप से प्रतियों के लिए प्रभारों का निम्नलिखित होगा, अर्थात

(क) प्रतियों के लिए जिनमें 15000 या उससे कम भाब्द हों

(1) जिला न्यायाधीश, ब्यवहार न्यायाधीश और मुन्सिफ के न्यायालय में

	निर्णय		अभिसाक्ष्य या आदेश सूची		अज्ञाप्त		पुस्तक, रजिस्टर, मानचित्र या रेखाचित्र इत्यादि या उनसे कोई उद्हरण या नियम 259 में उल्लेखित दस्तावेजों को छोड़कर कोई अन्य कागज	
	रु0	पैसे	रु0	पैसे	रु0	पैसे	रु0	पैसे
मामूली प्रति	2	00	2	00	2	5	1	50
आवश्यक प्रति	5	00	0	00	0	00	3	00

(2) लघुवाद न्यायालय से

	निर्णय		अभिसाक्ष्य या आदेश सूची		अज्ञाप्त		पुस्तक, रजिस्टर, मानचित्र या रेखाचित्र इत्यादि या उनसे कोई उद्हरण या नियम 259 में उल्लेखित दस्तावेजों को छोड़कर कोई अन्य कागज	
	रु0	पैसे	रु0	पैसे	रु0	पैसे	रु0	पैसे
मामूली प्रति	1	50	1	50	1	50	0	50
आवश्यक प्रति	3	पैसे	4	00	3	00	3	00

(ख) मामूली या आवश्यक प्रति के लिए 15000 से अधिक शब्दों हों । 15000 शब्दों के लिए प्रभार वही होगा जैसा कि ऊपर ब्यौरा दिया है और उत्तरवर्ती 300 शब्दों या उनसे कम के लिए मामूली या आवश्यक प्रति के सम्बन्ध में यथाक्रम 45 पैसे अतिरिक्त प्रभार लिया जायेगा।

(ग) पुस्तकों, उन रजिस्ट्रों को छोड़कर जो इन नियमों को खण्ड - 2 परिशिष्ट करके प्रारूप संख्या 63, 69 व 73 में हों, मानचित्र या उनके उद्हरणों के सम्बन्ध त. का. साधारण नियम निर्धारित नहीं किया जाता है। प्रत्येक दशा में प्रभार किये जाने वाले कार्य के परिणाम, उनकी कठिनता या जटिलता को ध्यान में हुए अध्याधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

कोई प्रारूप संख्या 63, 56, 69 या 73 में होने की दशा में प्रभार प्रत्येक 250 भाब्दों या उसके भाग को शीर्षक को सम्मिलित करते हुए मामूली प्रति की दशा में 50 पैसे और आवश्यक प्रति की दशा में 1 रूपय होगा

उन दशाओं में जबकि आवेदक किसी दस्तावेज को एक से अधिक प्रति चाहता है और टाइप की हुई प्रतियां दी जाती हों तो प्रथम के उपरान्त प्रति ऊपर विदित दर से आधे पर दी जायेगी।

परन्तु अनुबन्ध यह है कि जब प्रतियों के प्रभार में पैसे की संख्या भिन्न में आती हो तो आवेदक द्वारा लगाये जाने वाले मुद्रांक का मूल्य ऐसा रकम से एक पैसा अधिक होगा।

आवेदक के लिए अनुदेशक - प्ररूप की पूर्ति में जितनी परिशुद्धता आप कर सकें करें।

न्याय फीस मुद्रांक

के न्यायालय में

बनाम

मुन्सरिम को,

निम्नलिखित सूची में उल्लिखित दस्तावेज की एक-एक प्रमाणित प्रति मुझे देने की कृपा कर जिनके में निमित्त मैं इसके साथ रूपया पैसे मूल्य के प्रति पत्र दे रहा हूँ।

मामूली

यह आवेदक है। मैं वाद में पक्षकार हूँ/ नहीं हूँ आवश्यक

बाद की रजिस्टर में दी गई संख्या और उसका वर्ष	पत्रकारों के नाम	दिनांक अन्तिम अशान्ति	उस दस्तावेज अभिवर्णन जिसका प्रतिबांछित	उद्देश्य जिसके लिए प्रति अपेक्षित है या आधार जिस पर आवेदन स्वीकार
१०	०९	१० ०९ १०	०९ १०	०९
०८	०	०८ १ ०८	१ ०८	१
००	८	०० ८ ००	८ ००	८

दिनांक.....

प्रत्येक आवेदन में जो कि डाक द्वारा भेजा जाये, आवेदन

(1) आवेदन में अपना पूरा पता।

(2) कथन करेगा कि क्या प्रति प्राप्त करने के लिए या स्वयं उपस्थित होगा या चाहता है कि डाक द्वारा भेजा जाये।

(3) एक सभ्य रूपेण टिकट लगा और पता लिखा हुआ पोस्टकार्ड भेजेगा जिसके द्वारा उनको उनके प्रति के आवेदन पर यदि कोई अतिरिक्त प्रभार दिया जाना हो वो उनको सूचना दी जा सके और

(4) उस दशा में जबकि कागज द्वारा भेजा जाना हो, एक भव्य रूपेणटिकट लगा, लिखा हुआ लिफाफा भेजेगा।

टिप्पणी : यदि अतिरिक्त प्रभार सूचना निकालने जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर न दिये जाये, प्रति के लिए आवेदन स्वीकृत कर देना और लिफाफा आवेदक की स्वीकृति के आदेश की सूचना देने में प्रयोग किया जाना चाहिए।